न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.-364/04</u> संस्थित दिनांक- 12.08.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।**अभियोजन**

विरुद्ध

- 1. श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र तंगा हरीजन उम्र 60 साल

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 22.08.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506बी, 34 के आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 25.07.2004 को रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम सीगौन में कलाबाई को मादरचोद आदि गालियों के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया फरियादी कलाबाई, रामसिंह एवं देशराज को सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण के में श्यामालाल ने लाठी से तिलक सिंह ने घातक हथियार कुल्हाडी से पप्पू ने लुहांगी से फरियादी कलाबाई आहत रामसिंह एवं देशराज को मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उन्होंने दिनांक 25.07.2004 को फरियादिया कलाबाई अपने देवर राजाराम को समझा रही थी वह शराब पीकर प्रतात को गालिया दे रहा था, इतने में श्यामलाल व तिलक, पप्पू लुहांगी, कुल्हाडी व लाठी लेकर आये और कलाबाई के लडके को गालियां देने लगे तो कलाबाई ने कहा कि गालिया क्यों दे रहे तो श्यामालाल ने दो लाठी मारी जो बाये हाथ के कन्धा, कलाई व बाये पैर लगी। जांघ में चोट होने से सूजन आ

(2)

गयी। फिर तिलक सिंह ने कुल्हाडी मार सिर में माथे के उपर लगी खून निकल आया। कलाबाई का लड़का देशराज, रामसिंह बचाने आये तो पप्पू ने लुहांगी मारी देशराज के सिर में लगी। श्यामलाल ने लाठी मारी जो राम सिंह के दाहिने हाथ की कलाई में लगी फिर श्यामलाल ने कलाबाई लाठी मारी जो उसे बाये हाथ की कलाई में लगी पप्पू ने फरियादिय कलाबाई को लुंहागी मारी दाहिने हाथ में लगी, कलाबाई भागने लगी तो तिलक पप्पू ने हाथ पकड़ लिया और रोक लिया, मौके पर राजाराम, प्रताप और मनरू थे उन्होने घटना देखी फरियादिया कलाबाई के द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादियां की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध कमांक—115/04 अंतर्गत धारा—341, 294, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

क्या अभियुक्त्गण दिनांक 25.07.2004 को रात्रि लगभग 8 बजे ग्राम सीगोन में लोक स्थान पर फरियादी कलाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ? क्या दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने कलाबाई, रामसिह व देशराज को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में श्यामलाल ने लाठी से व तिलक सिंह घातक हथियार कुल्हाडी से कलाबाई, रामसिंह व देशराज को स्वेच्छया उपहति कारित की ? क्या उक्त दिनांक समय स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी एवं आहतगण को संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

4. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष</u> ::—

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पुन्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्न का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 06— फरियादिया कलाबाई (अ०सा0—1) का अपने कथनों में यह कहना है कि घटना सावन व आषाढ माह की शाम करीबन 06:00—07:00 बजे की है, उस समय वह घर थी। फरियादिया के अनुसार उसका देवर राजाराम दारू पिये हुये था और प्रताप को गालिया दे रहा था, जिस पर से वह तथा उसके लडके देशराज, राजाराम व राम सिह व कप्तान सिंह, राजाराम को समझा रहे थें तो अभियुक्त श्यामलाल एवं तिलक ने उसके के साथ लाठी से मारपीट की थी तथा अभियुक्त पप्पू ने गाली गिल्ला दिया था।
- 07— फरियादी ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना का दिनांक और माह स्पष्ट नहीं किया है परन्तु फरियादिया कलाबाई (अ०सा0—1) का यह कहना है कि घटना सावन आषाढ माह के करीबन 06:00—07:00 बजे की है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में इस साक्षी का यह भी स्पष्ट कहना है कि घटना के समय अंधेरा हो गया था। कलाबाई (अ०सा0—1) ग्रामीण महिला हैं, जिससे निश्चित रूप से यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना का अंग्रेजी माह और दिनांक बता सके, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि घटना रात्रि लगभग 08:00 बजे की होकर जुलाई माह की है, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 से भी होती है।
- 08— घटना दिनांक व समय को विवाद राजाराम के द्वारा प्रताप को गालियां देने पर से प्रांरभ हुआ था, इस संबंध में भले ही स्वयं राजाराम (अ०सा०—8) ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया, परन्तु विवाद राजाराम के द्वारा प्रताप

(4)

को गालिया देने पर से शुरू हुआ था इस संबंध में कलाबाई (अ०सा०–1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट रूप से अभियोजन के समर्थन में कथन दिये है तथा उक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत रहे हैं।

- 09— देशराज (अ0सा0—2) और राम सिंह (अ0सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कलाबाई (अ0सा0—1) के न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुयें, यह कथन दिये हैं कि घटना दिनांक को शाम करीबन 06—07 बजे राजाराम दारू पीकर प्रताप को गालियां दे रहा था, जिसे समझाने पर से विवाद हुआ था। इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन भी उनके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं। मनका (अ0सा0—6) ने हालांकि पूरी तरफ से अभियोजन घटना का समर्थन नही किया है परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कलाबाई (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये है कि घटना दिनांक को लगभग रात्रि 08:00 बजे राजाराम व कलाबाई की लडाई हो रही थी तथा उसने आरोपी व फरियादी के बीच गाली—गलौच होते हुये देखा था।
- 10— फरियादिया कलाबाई (अ०सा०—1) के द्वारा दिये गये कथन कि "घटना दिनांक को रात्रि 8 बजे राजाराम जब प्रताप को गालिया दे रहा था, उसके व उसके पुत्र देशराज (अ०सा०—2) व रामिसंह (अ०सा०—3) के द्वारा राजाराम को समझाने पर अभियुक्तगण ने विवाद प्रांरभ किया था" उसके संपूर्ण परीक्षण में अखिष्डत हैं। जिसके संबंध में बचाव पक्ष कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नही हुआ है। फरियादी कलाबाई (अ०सा०—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 से भी होती हे तथा अभ्योजन की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी देशराज (अ०सा०—2), रामिसह (अ०सा०—3) व मनका (अ०सा०—6) ने भी फरियादी कलाबाई (अ०सा०—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि की है। अतः उपरोक्त अखिष्डत साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घ टिना दिनांक को रात्रि ०८:०० बजे लगभग राजाराम जब दारू पीकर प्रताप को गालियां दे रहा था, तो राजाराम को समझाने पर से अभियुक्तगण ने फरियादी पक्ष के साथ विवाद किया था।
- 11— फरियादी कलाबाई (अ०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनो में ही राजाराम के द्व ारा प्रताप को गालियां देने का कारण भी स्पष्ट किया है। कलाबाई (अ०सा०—1) का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि जब राजाराम प्रताप को गालियां दे रहा था, तो उसने राजाराम से जाकर कहा था कि ''तू दूसरों को गालिया क्यों

दे रहा हैं, अपने भाई को गाली दें'' कलाबाई (अ०सा0—1) व देशराज (अ०सा0—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन लोगों ने जमीन प्रताप को बेची थीं, जिसमें राजाराम का भी हिस्सा था और इसी कारण से राजाराम प्रताप को गालिया दे रहा था। फरियादी कलाबाई ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्पष्ट किया है कि प्रताप अभियुक्त श्यामलाल का नाती लगता हैं।

- 12— अतः फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) व देशराज (अ०सा0—2) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि फरियादीगण ने प्रताप को कोई जमीन बेची थी, जिसमें राजाराम का हिस्सा था और राजाराम हिस्सा न मिलने पर जमींन के केता प्रताप को दारू पीकर गालियां दे रहा था और इसी कारण से कलाबाई (अ०सा0—1) का राजाराम से यह कहना था कि वह प्रताप को गाली क्यों को दे रहा है उसे अपने भाई को गाली देनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को राजाराम गाली दे रहा थ वह अभियुक्त श्यामलाल का नाती था, इस कारण से मौके पर विवाद हुआ था।
- 13— फरियादिया कलाबाई (अ०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में घटना घटित होने के स्थान के संबंध में भी अखण्डित कथन करते हुये व्यक्त किया है कि घटना स्थल चुन्नीलाल के घर से 15—20 मीटर की दूरी पर था। अभियुक्त चुन्नीलाल के चबूतरे पर बैठा था तथा चुन्नीलाल के जानवर जिस मकान पर बंधते है वही पर झगडा हुआ था। फरियादी कलाबाई (अ०सा०—1) के उपरोक्त कथनों सें स्पष्ट हे कि झगडे का स्थान उसके अनुसार चुन्नी लाल के मकान के पास था, जिसकी पुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श—पी 7 में दर्शाया गये घटना स्थल से भी होती है।
- 14— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को रात्रि लगभग 8 बजे राजाराम की जमीन बेचने पर से दारू पीकर राजाराम प्रताप को गालिया दे रहा था, तो वहां पर फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1), देशराज (अ०सा0—2) व रामिसंह (अ०सा0—3) के द्वारा राजाराम को समझाने पर कि वह गालिया क्यों दे रहा है तो अभियुक्तगण ने चुन्नी लाल के मकान के पास उन लोगों के साथ झगडा किया थां। अब मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाना है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) देशराज (अ०सा0—2) व रामिसंह (अ०सा0—3) के साथ घटना में लाठी लुहांगी और कुल्हाडी से वास्तव में मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की थी अथवा नहीं ?

- 15— अभियुक्तगण के द्वारा कलाबाई (अ०सा०—1) के साथ की गई मारपीट के संबंध में स्वयं कलाबाई (अ०सा०—1) का अपने न्यायालीन कथनों की कण्डिका 2 में कहना है कि श्यामलाल ने उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में लाठी मारी थी जिससे उसे तीन टांके आये थें तथा इसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कहना है कि तिलक ने उसके सिर में लाठी मारी थीं तथा पैर में भी दो लाठियां मारी थीं। फरियादिया के द्वारा दिये गये उपरौक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे है जिसमें कलाबाई (अ०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है उसे आरोपी श्यामलाल ने धोखे से लाठी मारी थीं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में इसी साक्षी का कहना है कि श्यामलाल के द्वारा हाथ में लाठी मारने से उसे तीन टांके आये थें। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में अपनी दोनो जाघ, पिण्डली, सिर में व हाथ में घटना में चोट आना बताया है तथा इस बात का ध्यान न होना बताया है उसके दाहिने हाथ की कोहनी में चोट आई थी या नहीं।
- 16— फरियादिया कलाबाई (अ०सा०–1) का अपने कथनों में यह कहना है कि पप्पू ने घटना में मारपीट नहीं की थीं, केवल गाली-गलौच की थीं। अतः फरियादिया कलाबाइ (अ०सा0–1) के अनुसार उसके साथ मारपीट केवल श्यामलाल और तिलक ने की थी जो लाठियों से की थीं तथा उक्त मारपीट में उसे हाथ में जांघ में पिण्डली में और सिर में चोटें आई थीं। देशराज (अ०सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कथन दिये है कि उसकी मां को अभियुक्त श्यामलाल ने लाठी से मारा था तथा तिलक ने लाठी या लुहांगी से उसकी मां के साथ मारपीट की थीं। देशराज (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह कथन दिये है कि उसकी मां को अभियुक्त श्यामलाल ने एक लाठी मारी थी जिससे उसका सिर फट गया था। इसी साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में यह भी कहना है कि उसकी मां को लाठी से सभी जगह चोटें आई थी तथा उसकी मां की जांघ से व पिडली से खून निकल रहा हैं। रामसिंह (अ०सा०-3) ने भी अपने कथनों में इस संबंध में अखिण्डत कथन दिये है कि अभियुक्त श्यामलाल ने उसकी मां के हाथ के अंगूठे में लाठी मारी थीं तथा तिलक ने भी मां के साथ लाठी से मारपीट की थीं ।

17— कलाबाई (अ0सा0—1), देशराज (अ0सा0—2) व रामसिंह (अ0सा0—3) के द्वारा

अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण के द्वारा कलाबाई (अ०सा०—1) के साथ किस हथियार से व शरीर के किस स्थान पर मारपीट की गई, इस संबंध में विरोधाभास देखा जा सकता है। कलाबाई (अ०सा०—1) व रामिसंह (अ०सा०—3) जहां श्यामलाल के द्वारा कलाबाई (अ०सा०—1) को केवल ही एक ही लाठी हाथ के अंगूठे में मारना बताते हैं, वही देशराज (अ०सा०—2), श्यामलाल के द्वारा कलाबाई (अ०सा०—1) को सिर में लाठी मारना बताता है।

- 18— कलाबाई (अ०सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में श्यामलाल के द्वारा हाथ में एक ही लाठी मारना बताती हैं तथा तिलक के द्वारा सिर में, पैरों में लाठी मारकर उपहित कारित करने की संबंध में कथन देती है। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार तिलक ने फिरयादी के माथे पर कुल्हाड़ी से उपहित कारित की थी जबिक श्यामलाल ने लाठी से दाहिने हाथ की कोहनी, बाये हाथ के कंधा कलाई, बाये पैर की जांघ व बाये हाथ की गदेली में लाठी मारकर उपहित कारित की थी। अतः किस अभियुक्त ने फिरयादिया कलाबाई (अ०सा0—1) को शरीर के किस भाग पर कितने प्रहार करके उपहित कारित की थीं, इस संबंध में फिरयादिया के कथनों और अभियोजन कहानी में विरोधाभास की स्थिति देखी जा सकती है।
- 19— कलाबाई (अ०सा0—1) व देशराज (अ०सा0—2) के स्वयं के कथन इस संबंध में विरोधाभासी है कि कलाबाई के सिर में उपहित किस अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी। कलाबाई (अ०सा0—1) जहां तिलक के द्वारा उसे सिर में लाठी मारना बताती हैं, जबिक तिलके द्वारा अभियोजन कहानी के अनुसार कुल्हाडी मारी गयी थीं, वही देशराज (अ०सा0—2) श्यामलाल के द्वारा कलाबाई (अ०सा0—1) के सिर में लाठी मारना बताता हैं जबिक स्वयं कलाबाई (अ०सा0—1) का यह कहना है कि श्यामलाल ने उसे मात्र दाहिने हाथ के अंगूठे में लाठी मारी थीं जिसमें उसे तीन टांके आये थे।
- 20— अतः कलाबाई (अ०सा0—1) देशराज (अ०सा0—2) व राम सिंह (अ०सा0—3) के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में कलाबाई (अ०सा0—1) को किस अभियुक्त ने शरीर के किस भाग पर किस हथियार से उपहित कारित की थीं, परन्तु उपरोक्त विरोधाभास के होते हुये यह उल्लेखनीय है कि कलाबाई (अ०सा0—1) व देशराज (अ०सा0—2) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि फरियादिया के सिर में लाठी की चोट थीं तथा हाथ के अंगूठा भी फट गया था जिसमें फरियादियां टांके आना बताती है। फरियादियां ने अपने

कथनों में भले ही इस संबंध में विरोधाभासी कथन दिये हो कि किस अभियुक्त ने उसे शरीर में किस स्थान पर उपहित कारित की थी, परन्तु अभियुक्त श्यामलाल व तिलक ने उसके साथ मारपीट कर उस उपहित कारित की थीं तथा घटना में उसे सिर में, हाथ में, जांघों में, पिंडली में चोटें आई थीं। इस संबंध में फरियादिया कलाबाई (अ०सा0–1) की साक्ष्य अखण्डित हैं। जिसकी पुष्टि देशराज (अ०सा0–2) व रामसिंह (अ०सा0–3) की कथनों से भी होती है।

- 21— जहां तक फरियादियां कलाबाई (अ०सा0—1), देशराज (अ०सा0—2) व राम सिंह (अ0सा0-3) के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है कि किस अभियुक्त ने शरीर के किस भाग पर फरियादिया कलाबाई (अ०सा०–1) को उपहति कारित की थी तो इस संबंध में कलाबाइ (अ०सा०-1) के संपूर्ण न्यायालीन कथनों को देखते हुये, उपरोक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप का प्रतीत नही होता हैं। यह उल्लेखनीय है कि यदि दो से तीन व्यक्तियों के साथ ही मारपीट करते हैं. तो आहत व्यक्तियों से यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह किसी मैच की तरह घटना का एक एक विवरण कि किस स्थान पर किस व्यक्ति ने किस हथियार से उपहति कारित कीं, बता सके। यह संभव ही नहीं है कि किसी आहत व्यक्ति के साथ यदि दो से तीन लोग अलग अलग हथियार लेकर मारपीट करे तो वह यह बता सके कि किस व्यक्ति के हथियार से उसे शरीर के किस स्थान पर चोट कारित हुई थी। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं बचने का प्रयास करता है न कि कौन सा व्यक्ति उसे किस हथियार से शरीर के किस भाग पर चोट पहुचा रहा है यह गिनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मात्र घटना में स्वयं को शरीर के किस भाग पर चोटें आई यह बता सकता हैं।
- 22— कलाबाई (अ०सा0—1) व देशराज (अ०सा0—2) एवं रामिसंह (अ०सा0—3) के कथनो सें यह स्पष्ट होता है कि घटना में कलाबाई (अ०सा0—1) के सिर में लाठी से चोट आई थी तथा उसका एक हाथ का अंगूठा भी लाठी से फट गया था एवं उसकी जांघ में व पैरों में चोट आई थीं। अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर बाये० एस० तोमर (अ०सा0—5) का परीक्षण न्यायालय में कराया गया है जिनके द्वारा दिनांक 26.07.2014 को फरियादियां का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने की पुष्टि अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर बाये० एस० तोमर (अ०सा0—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादियां के बाये कंधे पर नीलगू व सूजन की चोट बायी अग्र भुजा पर खरोंच, बाये हाथ की अंगूली व चौथी अंगूली के बीच में एक फटा हुआ घाव,

(9)

जांघ के बाहरी भाग पर नील की चोट तथा दाहिने हाथ की कोहनी में सूजन सिहत सिर के बाये पैराइटल भाग पर एक कटा हुआ घाव चिकित्सीय परीक्षण में बाये जाने की पुष्टि करते हुये कथन दिये है तथा डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0—5) के अनुसार उक्त चोटें 24 घण्टे के अंदर की थीं।

- 23— फरियादिया कलाबाई (अ०सा0—1) के चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-5) के द्वारा पाई चोटों के संबंध में दिये गये उपरोक्त न्यायालीन कथन की पृष्टि कलाबाई (अ०सा०-1) के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान तैयार की गयी चिंकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी 3 से भी होती हैं जिस पर डॉक्टर बाये० एस० तोमर ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के तुरन्त बाद फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाये कंधे पर नीलगू व सूजन की चोट बायी अग्र भुजा पर खरोंच, बाये हाथ की अंगूली व चौथी अंगूली के बीच में एक फटा हुआ घाव, जांघ के बाहरी भाग पर नील की चोट तथां दाहिने हाथ की कोहनीं में सूजन सहित सिर के बाये पैराइटल भाग पर एक कटा हुआ घाव था, जिससे चिकित्सीय साक्ष्य से भी फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना में उसके सिर सहित शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं। फरियादी के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटों की प्रकृति को देखते हुये एवं अभिलेख पर घटना के संबंध में आई मोखिक साक्ष्य को देखते हुये इस बात पर लेषमात्र भी संदेह नही रह जाता है कि फरियादी कलाबाई (अं०सा०-1) के चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटें अभियुक्त श्यामलाल व तिलक के द्वारा घटना में फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ की गई मारपीट का परिणाम है, जिससे यह साबित होता है कि फरियादी कलाबाई (अ०सा0-1) के साथ अभियुक्त श्यामलाल व तिलक ने मारपीट कर उसे उपहति कारित की थीं।
- 24— जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा देशराज (अ०सा0—2) व रामिसंह (अ०सा0—3) को कारित की गई उपहित का प्रश्न है, तो चिकित्सीय साक्षी डाक्टर बाये० एस० तोमर (अ०सा0—5) ने अपने कथनों में इस बात की भी पुष्टि की है कि दिनांक 26.07.2004 को उनके द्वारा जब देशराज (अ०सा0—2) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, तो उनके द्वारा देशराज के सिर में बाये पैराइटल भाग पर एक फटा हुआ घाव, बाये कोहनी के पृष्ट भाग पर खरोज व नील की चोट व छाती में बायी तरफ नील की चौट पाई थीं तथा राम सिंह का परीक्षण में कोई चोट नही पाई गई थीं। डाक्टर बाये एस तोमर (अ०सा0—5) के उपरोक्त

कथनों की पुष्टि उनके तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी 4 व 5 से होती है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय देशराज (अ०सा0—2) के शरीर पर भी चोटें पाई गई थीं, उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई इस संबंध में स्वयं देशराज (अ०सा0—2) सहित अन्य साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है।

- 25— कलाबाई (अ०सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में यह अवश्य कहना है कि घटना में उसे देशराज (अ०सा0—2) व राम सिंह (अ०सा0—3) को चोटें आई थीं, परन्तु कलाबाई (अ०सा0—1) का देशराज को कारित की गई उपहित के संबंध में अपने कथनों की कण्डिका 2 में कहना है कि देशराज को श्यामलाल ने सिर में लाठी मारी थीं तथा राम सिंह बचाने आया था तो उसे भी श्यामलाल ने लाठी ने मारी थीं जिसके बारे में उसे पता नहीं है कि लाठी कहा लगी थी। फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण में की कण्डिका 9 में कहना है कि देशराज व रामसिंह को श्यामलाल ने मारा था। कलाबाई (अ०सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 9 में व्यक्त किया है कि पप्पू ने किसी को नहीं मारा था और न उसने लुहांगी से मारने वाली बात लेख कराई थीं। अतः कलाबाई (अ०सा0—1) के अनुसार घटना में देशराज (अ०सा0—2) व रामसिंह (अ०सा0—3) के साथ केवल श्यामलाल ने मारपीट की थीं। देशराज (अ०सा0—2) भी अपने न्यायालीन कथनों में श्यामलाल के द्वारा अकेले उसे व राम सिंह (अ०सा0—3) को लाठी से मारने की घटना बताता हैं तथा देशराज (अ०सा0—2) के अनुसार श्यामलाल ने उसे पीछे आकर सिर में लटठ मारा था।
- 26— यहा यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार देशराज (अ0सा0—2) व रामिसंह (अ0सा0—3) को मात्र एक एक उपहित कारित हुई है जिसके संबंध में इन साक्षियों ने पुलिस को भी कथन दिये हैं अभियोजन कहानी के अनुसार देशराज को पप्पू ने सिर में लुहांगी मारी थी तथा राम सिंह को श्यामलाल ने दाहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी थी, परन्तु उपरोक्त घटना को प्रमाणित करने के लिये फिरयादी सिहत घटना में आहत देशराज (अ0सा0—2) व रामिसंह (अ0सा0—3) के कथन अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। निश्चित रूप से यदि कई व्यक्तियों के द्वारा कई व्यक्तियों के साथ मारपीट की जावे, तो यह बता पाना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति ने किस हथियार से किस व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, परन्तु जब मारने वाला एक व्यक्ति हो और पीटने वाला भी एक व्यक्ति हो तो आहत व्यक्ति के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास आना कि किसने किस ह थियार से उसे उक्त एक उपहित कारित की, निश्चित

रूप से साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ले आता है।

- 27— अभियोजन कहानी के अनुसार देशराज (अ०सा०—2) को मात्र पप्पू ने सिर में लुहागी मारी थी परन्तु स्वयं देशराज (अ०सा०—2) सिहत अन्य कोई भी साक्षी इस घटना की पुश्टि नहीं करते हैं। कलाबाई जो घटना में फिरयादी है, अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में स्वयं यह कहती है कि पप्पू ने घटना में नहीं मारा था तथा उसने इस संबंध में थाने पर झूठ बोला था। स्वयं देशराज (अ०सा०—2) का भी यह कही भी कहना नहीं है कि अभियुक्त पप्पू ने उसके सिर में लुहांगी मारी थीं। देशराज (अ०सा०—2) व कलाबाई (अ०सा०—1) के अनुसार श्यामलाल ने देशराज (अ०सा०—2) के सिर में लाठी मारी थीं जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार ऐसा कोई कृत्य श्यामलाल ने देशराज (अ०सा०—2) के साथ नहीं किया था। अतः ऐसे में साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है कि अभियुक्त श्यामलाल ने देशराज (अ०सा0—2) को सिर में लाठी मार कर उपहति कारित की थी।
- 28— राम सिंह (अ०सा0—3) को घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार श्यामलाल ने दाहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी थी तथा उक्त एक मात्र चोट अभियोजन कहानी के अनुसार रामसिंह (अ०सा0—3) को घटना में आई थीं। यदि निश्चित रूप से उक्त घटना सत्य होती तो स्वयं राम सिंह (अ०सा0—3) के कथन इस संबंध में विरोधाभासी नहीं होते। राम सिंह (अ०सा0—3) को स्वयं ही यह याद नहीं है कि घटना में उसे कहा चोट आई थी। इस साक्षी का यह कहना है कि अभियुक्त श्यामलाल ने उसे पैर में लाठी मारी थीं। देशराज (अ०सा0—2) श्यामलाल के द्वारा रामसिंह के बखा में मारना बताता है तथा कलाबाई (अ०सा0—1) अभियुक्त श्यामलाल के द्वारा रामसिंह (अ०सा0—3) को जांघ में लात मारना बताती है, जबिक राम सिंह (अ०सा0—3) का कही भी यह कहना नहीं है कि उसे बखा में या जांघ में अभियुक्त श्यामलाल के मारने से चोट आई थी।
- 29— अतः ऐसे में राम सिंह (अ०सा०—3) को घटना में कारित हुई उपहित के संबंध में स्वयं राम सिंह (अ०सा०—3) के कथन अभियोजन घटना से भिन्न है वहीं अन्य साक्षियों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि श्यामलाल के द्वारा रामसिंह (अ०सा०—3) को दाहिने पैर में लाठी मारकर उपहित कारित की गई थी। यदि वास्तव में श्यामलाल के द्वारा ऐसी कोई घटना कारित की गई होती तो निश्चित रूप से राम सिंह के कथन इस संबंध में स्पष्ट होते कि अभियुक्त

श्यामलाल ने उसे लाठी से कहा प्रहार कर उपहित कारित की, क्योंकि घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार राम सिंह (अ०सा०—3) पर एक ही प्रहार हुआ था। अतः ऐसे में साक्षियों के कथन इस संबंध में भी विश्वसनीय प्रतीत नही होते है कि अभियुक्त श्यामलाल ने राम सिंह (अ०सा०—3) को लाठी मार कर कोई उपहित कारित की थी।

- 30— चिकित्सीय साक्ष्य से घटना के दूसरे दिन देशराज (अ०सा०—2) के शरीर पर चोटें होने की पुष्टि होना इस बात का निश्चायक प्रमाण नही माना जा सकता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी जब तक की उसे स्वयं साक्षियों के द्वारा मोखिक साक्ष्य से साबित न कर दिया जावे। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि कलाबाइ (अ०सा०—1) को चिकित्सीय परीक्षण पाई गई चोटें घटना में अभियुक्त श्यामलाल व तिलक सिंह के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम थीं परन्तु अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नही होते है कि अभियुक्तगण के में से किसी ने देशराज (अ०सा०—2) व राम सिंह (अ०सा0—3) के साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की। जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि देशराज (अ०सा0—2) व राम सिंह (अ०सा0—3) के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की।
- 31— घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थित तथा उनके द्वारा पूर्व से विवाद को लेकर मौके पर एक राय होकर फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) के साथ मारपीट की घटना कारित कर उसे उपहित कारित करने के संबंध में अभिलेख पर अखिण्डत साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह दर्शित होता है कि कलाबाई को उपहित कारित करने का अभियुक्तगण ने पूर्व से ही सामान्य आशय निर्मित किया हुआ था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में ही घटना कारित की गई थीं। अभियुक्त श्यामलाल व तिलक सिह घटना में फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) के साथ मारपीट कर उपहित कारित की थीं। यह तो अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है परन्तु उक्त उपहित किसी घातक हथियार जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो या किसी काटने के उपयोग में लाये जाने वाले हथियार से कारित की गई, इस संबंध में फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) देशराज (अ०सा0—2) व राम सिंह (अ०सा0—3) ने कोई कथन न्यायालय में नही दिये।
- 32— अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये सभी साक्षी जहां श्यामलाल के द्वारा

लाठी से मारपीट की जाने की घटना बताते हैं जो कि निश्चित रूप से उपरोक्त श्रेणी के हथियारों में नहीं आते हैं। वहीं अभियोजन कहानी के अनुसार पप्पू के द्वारा लुहांगी से एव तिलक सिंह के द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट की घटना कारित की गई थी परन्तु इस संबंध में अभियोंजन घटना के विपरीत स्वयं फरियादी कलाबाई (अ०सा0—1) का ही यह कहना है कि पप्पू ने घटना में कोई मारपीट नहीं की थीं ओर न ही उसने पप्पू के द्वारा लुहांगी लेकर मारपीट करने की घटना लेख कराई थी। कलाबाई (अ०सा0—1) का अपने कथनों में की कण्डिका 2 में कहना है कि तिलक ने सिर में लाठी मारी थी तथा यह साक्षी भी स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा प्रयोग किया गया हथियार लाठी था या लुहांगी था।

- 33— देशराज (अ०सा0—2) व रामिसंह (अ०सा0—3) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नही है कि तिलक सिंह के द्वारा धारदार हिथयार कुल्हाडी से कलाबाई (अ०सा0—1) के साथ मारपीट कर उपहित कारित की गई तथा स्वयं कलाबाइ (अ०सा0—1) ने भी इस संबंध में कोई कथन न्यायालय में नही दिये हैं। अभियोजन की ओर से प्रकरण में उपिनरीक्षक अमरचंद शर्मा (अ०सा0—10) के कथन न्यायालय में अवश्य कराये जिसने स्वयं प्रदर्श—पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना व सहायक उपिनरीक्षक रमेश सोनी के द्वारा प्रकरण की विवेचना कि दौरान तैयार की गये दस्तावेजों पर रमेश सोनी के हस्ताक्षरों की पहचान की है। उक्त दस्तावेजों में प्रदर्श—पी 17 का तलाशी पंचनामा भी हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण में से किसी से भी ऐसे किसी धारदार हथियार अथवा किसी घातक हथियार जिसके प्रयोग से मृत्यु कारित होना संभाव्य है कि जप्ती नहीं की गई जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में प्रयोग किया जाना बताया गया है।
- 34— अतः ऐसे में साक्षियों के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी परन्तु उक्त घटना में अभियुक्तगण ने धारदार हथियार कुल्हाडी एवं घातक हथियार लाठी व लुहांगी जिसके प्रयोग से मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, का उपयोग किया गया यह न तो प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य प्रमाणित हैं तथा उस पर प्रकरण में हथियारों की जप्ती न होने से यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण ने घटना में भादि की धारा 324 में उल्लेखित हथियारों का उपयोग कर फरियादी कलाबाई (अ0सा0—1) को स्वेच्छया उपहित कारित की। जिससे अभियुक्तगण का कृत्य भादि की धारा 324 की परिधि में

न आकर भादिव की धारा 323 की परिधि में आता है। इस संबंध में न्यायालय में अभिमत माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत.... Crl R.C. No. 1679 of 2005 Duvvur Narayana and 3 others the state of A.P. दिनांकित 14.11.2011 में प्रतिपादित न्यायामत पर आधारित है।

- 35— जहां तक घटना में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी कलाबाई (अ०सा०—1) को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने का प्रश्न है एवं फरियादी सहित आहतगण को जान से मारने की धमकी दी जाने की घटना हैं तो इस संबंध में स्वयं फरियादी कलाबाई (अ०सा०—1), देशराज (अ०सा०—2), रामसिह (अ०सा०—3) ने अभियुक्त श्यामलाल व तिलक के विरूद्ध अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। मनका (अ०सा०—6) ने अपने कथनों में आरोपी व फरियादी के बीच गाली—गलौच होना तो बताया हैं, परन्तु कौन किसे गाली दे रहा था, इस संबंध में इस साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं है। अतः अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने फरियादी एवं आहतगण को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था व संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप भी साबित नहीं होते हैं।
- 36— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नही हुआ है कि अभियुक्तगण दिनांक—25.07.2004 को रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम सीगोन में लोक स्थान पर फरियादी कलाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सहित आहतगण को संत्राष कारित करने के आशय से जाने से मारने की धमकी दी तथा उन्होने घटना में धारदार हथियार कुल्हाडी एवं घातक हथियार जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, का प्रयोग किया था, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 25.07.2004 को रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम सीगोन कलाबाई (अ०सा0—1) को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में कलाबाई (अ०सा0—1) के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।

37- फलतः अभियुक्तगण श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र तंगा हरीजन, तिलक

सिंह पुत्र श्यामा हरिजन को भादिव की धारा 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से एवं देशराज (अ0सा0—2) व राम सिंह (अ0सा0—3) को स्वेच्छया उपहित कारित करने के संबंध में भादिव की धारा 323/34 दो शीर्ष के आरोपों से दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र तंगा हरीजन, तिलक सिंह पुत्र श्यामा हरिजन के विरूद्ध कलाबाई (अ0सा0—1) के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित करने के आरोप पूरी तरह से साबित होते हैं, जिससे अभियुक्तगण को कलाबाई (अ0सा0—1) को घटना में कारित हुई उपहित के संबंध में भादिव की धारा 323/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

38— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 39— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्तगण कई माह से अभिरक्षा में हैं। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।
- 40— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण पर एक महिला के साथ बबर्रता पूर्ण मारपीट करने के आरोप हैं, जिससे गंभीर परिणाम भी हो सकते थे परन्तु अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति एवं प्रकरण की लंबित अवधि को देखते हुये। अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित

प्रतीत नही होता है अतः अभियुक्तगण को भादवि की धारा 323/34 में दोषी पाते हुये <u>प्रत्येक अभियुक्त को 02 माह (दो माह) का सश्रम कारावास एवं</u> 500 / — रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावें। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तेयार कर सलंग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)